

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल स्वातिवर सर्कि कोर्ट रोवा जिला रोवा म०प्र०।



A 5224-II/16

Rs. 30/-

- 1- मुक्ताक अ० मद सभी के पिता मखमूल अ० मद
- 2- मंजूर अ० मद
- 3- सुतकाल अ० मद
- 4- सुल्तान अ० मद
- 5- सुतपेरे अ० मद
- 6- इक्वात अ० मद तनय सुल्तार जी

----- सभी निवासी ग्राम लातगंज धाना/तह० नईगढ़ी जिला रोवा

म०प्र०

----- निगरानी कर्ता/ आवेदक रण ।

विरुद्ध

- 1- भरोषा तनय समई अ० र
- 2- जगदीश अ० र
- 3- रामनिहोर अ० र
- 4- रामप्रसाद अ० र
- 5- राममिलन अ० र

वारो के पिता बंदो प्रसाद अ० र  
सभी निवासी ग्राम लातगंज तहसील नईगढ़ी जिला रोवा म०प्र० ।

----- गैर निगरानी कर्ता / अनावेदक रण ।

श्री. जी. उल-पटेल  
वारा आज दिनांक 13-5-16  
प्रस्तुत किया गया।  
सिडर  
सर्किट कोर्ट रोवा

निगरानी विरुद्ध श्रीमान् न्यायालय अनुविभागीय-  
अधिकारी मउमंज, जरिअ प्र०प्र०-09/ए-5/15-16  
आदेश दिनांक 14-03-2016; सुताधिक धारा -  
50 म०प्र०भू० रट० वि० 1959 ई० ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

- 1- यहिक अधीनस्थ न्यायालय की आशा विधि एवं प्रक्रिया के विषयोंत है ।
- 2- यहिक आराजी न० 188 में कुल 6 बटांक है, जो स्थित ग्राम लातगंज न० 923 तहसील नईगढ़ी जिला रोवा में उक्त भूमि में से निगरानी कर्ता/आवे०

रु० ---

*(Signature)*

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक ..... R. 5224-टो/16 ..... जिला रोवा .....

..... मुरताक अस्मद व अन्य विरुद्ध भरोषा अस्टि वगैरह .....

1	2	3
18-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>जी. एल. पटेल</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील <u>मक्रांज</u> के प्रकरण क्रमांक <u>09/अ.5/अपील/15.16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>14.3.16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>रोवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>07.03.19</u> को कलेक्टर <u>रोवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  <u>सदस्य</u></p>	